IndiaShelter Home Loans

इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड

मांग सूचना

पंजी. कार्यालय : छठा तल, प्लॉट–15, सेक्टर–44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरूग्राम, हरियाणा–122002

शाखा कार्यालय– (डी–58/12, ए–2, फ्रंट साइड, प्रथम तल, गांधी नगर, सिगरा, वाराणसी–221010.), (लक्ष्मी प्लाजा, द्वितीय तल पुलिस लाइन चौराहा, इंडियन बैंक के ऊपर, रायबरेली, उत्तर प्रदेश– 229001), (सोनकर सभालय, 385, प्रथम तल, वाजिदपुर तिराहा (इंडसइंड बैंक के पास), जौनपुर, उत्तर प्रदेश– 222002), (आर.एल. कॉम्प्लेक्स, द्वितीय तल, देवकली रोड, हनुमान मंदिर के सामने, अयोध्या, उत्तर प्रदेश, पिन–224001), (बी–3/10, डीके टावर, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ– 226010)

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनरनिर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अधीन सूचना

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कर्जदारों ने इंडिया शेल्टर फाइनैंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईएसएफसीएल) से ऋण प्राप्त किया था और आईएसएफसीएल को अपने ऋण की समान मासिक किश्तें (ईएमआई'ज) चुकाने में असफल रहे हैं तथा कि उनका ऋण खाता राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अनार्जक आस्ति की श्रेणी में सूचीबद्ध किया जा चुका है। कर्जदारों द्वारा आईएसएफसीएल को अचल सम्पत्तियां बतौर प्रतिभूति उपलब्ध कराई हैं, जिसका विस्तृत विवरण यहां नीचे दिया गया है। ऋण और कर्जदारों द्वारा आईएसएफसीएल को अद्यतन देय बकाया राशियों का विवरण भी यहां नीचे निदर्शित किया गया है। कर्जदार(रों) और सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूत लेनदार, आईएसएफसीएल के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में निम्नलिखित कर्जदार(रों) के विरूद्ध वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनरनिर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधान के अधीन कार्यवाही आरंभ कर दी है और इस अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है। यदि निम्नलिखित कर्जदार उनके नामों के समक्ष निदर्शित बकाया राशि सूचना के 60 (साठ) दिन के भीतर करने में असफल रहते हैं तो अधोहस्ताक्षरी सरफासी ऐक्ट की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत प्रतिभूत लेनदार को प्रदत्त किसी एक अथवा अधिक शक्तियों का प्रयोग करेगा, जिसमें प्रतिभूत सम्पत्ति का कब्जा लेना और उसको बिक्री करना शामिल है। सर्वसाधारण को सलाह दी जाती है कि यहां नीचे वर्णित सम्पत्तियों के संबंध में संव्यवहार नहीं करें।

क्र. सं.	कर्जदार(रों)/गारंटर/कानूनी वारिस /कानूनी प्रतिनिधि का नाम, ऋण खाता संख्या	एनपीए तिथि/ मांग सूचना	मांग सूचना तिथि एवं राशि	प्रतिभूत आस्ति(यों) (अचल सम्पत्तियों) का वर्णन
1.	श्री/श्रीमती सुनीता पत्नी योगेंद्र, श्री/श्रीमती योगेंद्र पुत्र फूलचंद्र, रानी एंटरप्राइज सी/ओ योगेंद्र पुत्र फूलचंद्र फौदीपुर रामापुर संत रविदास नगर वाराणसी उत्तर प्रदेश–221304 **HL15RNLONS000005085266/AP-10206190**	10–11–2025 / 11–11–2025	11–मई–2026 रू.1009788/– (रुपये दस लाख नौ हज़ार सात सौ अठासी मात्र) 10–मई–2026 तक बकाया 11 मई–2026 से ब्याज के साथ और पेमेंट की तारीख तक दूसरे चार्ज और लागत	**संपत्ति के सभी अंश एवं खंड :** आराज़ी नंबर– 16, परिमाप 190 वर्ग मीटर (2045 वर्ग फीट), मौज़ा– फौदीपुर, तालुका– असनाव, परगना– भदोही, तहसील– औराई और ज़िला– भदोही उत्तर प्रदेश, सीमाः– पूरबः 8 फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिमः खेत राजकुमार, उत्तरः मकान जितेंद्र, दक्षिणः खेत राजनाथ और अन्य
2.	श्री/श्रीमती सीमा मिश्रा पत्नी विजय कुमार मिश्रा, श्री/श्रीमती विजय कुमार मिश्रा पुत्र रमाकांत मिश्रा, एसजीपीजीआई लखनऊ 94/3 फिरोज गांधी कॉलोनी नियर बाय पंजाब नेशनल बैंक रायबरेली उत्तर प्रदेश–229001 **LARBCLLONS000005079681/AP-10192641**	10–11–2025 / 11–11–2025	11–मई–2026 रू. 1530452/– (पंद्रह लाख तीस हजार चार सौ बावन रुपये केवल)10–मई–2026 तक बकाया 11 मई–2026 से ब्याज के साथ और पेमेंट की तारीख तक दूसरे चार्ज और लागत	**संपत्ति के सभी अंश एवं खंड :** मकान नंबर– 94/3, मोहल्ला– फिरोज गांधी नगर जिला –रायबरेली रायबरेली उत्तर प्रदेश 229001 उत्तर प्रदेश सीमाः– उत्तरः योजना सीमा दक्षिणः मकान नंबर –94/2 पूर्वः मकान नंबर–102/2 पश्चिमः 6 मीटर चौड़ी प्रस्तावित सड़क
3.	श्री/श्रीमती रेनू पत्नी प्रदीप कुमार गौतम, श्री/श्रीमती प्रदीप कुमार गौतम पत्नी राम अवध, श्री/श्रीमती, प्रदीप कुमार गौतम सी/ओ एसबीआई कस्टमर ब्रांच 36, दुगौली, दुगौली, पो महराज गण जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश– 222145 **LAJNVLLONS000005150294** और **LAJNVLLONS000005150252/AP-10352608** और **AP-10351557**	10–11–2025 / 11–11–2025	11–मई–2026 रू. 8,08,931/– (आठ लाख आठ हजार नौ सौ इकतीस रूपये केवल)10–मई–2026 तक बकाया 11 मई–2026 से ब्याज के साथ और पेमेंट की तारीख तक दूसरे चार्ज और लागत	**संपत्ति के सभी अंश एवं खंड :–** आराजी नंबर–138 और 229, मौजा– दुगौली परगना–गढ़वारा, तहसील–बदलापुर और जिला–जौनपुर उत्तर प्रदेश पिन कोड– 222145 सीमाः पूर्वः 8 फीट चौड़ी ब्लॉक पक्की सड़क और स्वयं की जमीन, पश्चिमः संजय कुमार की संपत्ति, उत्तरः रामलवत की जमीन और मकान, दक्षिणः राजा राम के मकान की संपत्ति
4.	श्री/श्रीमती मनोरमा पत्नी श्री कृष्णा, श्री/श्रीमती कृष्णा पुत्र लक्ष्मी नारायण, श्री/श्रीमती मनोरमा सी/ओ मुन्ना मिल्क डेरी, पुरे बिंदा सिंह कोरिहारा लालगंज लालगंज लालगंज रायबरेली, रायबरेली, उत्तर प्रदेश 229206 **LARBVLLONS000005152093 & LARBVLLONS000005157545/AP-10352679 & AP-10356134**	10–11–2025 / 11–11–2025	11–मई–2026 रू. 427479/– रुपये (चार लाख सत्ताईस हजार चार सौ उनहत्तर रुपये केवल) 10–मई–2026 तक बकाया 11 मई–2026 से ब्याज के साथ और पेमेंट की तारीख तक दूसरे चार्ज और लागत	**संपत्ति के सभी अंश एवं खंड :–** संपत्ति क्षेत्रफल परिमाप 143.86 वर्ग मीटर, गाटा नंबर 561, गांव– कोरिहारा, शिव जी मंदिर के पास, परगना डलमऊ, तहसील– लालगंज, जिला– रायबरेली, उत्तर प्रदेश –229206 सीमाः पूरबः रोड, पश्चिमः खेत श्याम लाल, उत्तरः– पीओटी श्री कृष्ण और खेत चांद भान, दक्षिणः खेत राम सजीवन
5.	श्रीमती सरिता गुप्ता पत्नी श्री अमित प्रकाश गुप्ता, श्री अमित प्रकाश गुप्ता पुत्र श्री ओम प्रकाश गुप्ता, मेसर्स यश एजेंसी सी/ओ अमित प्रकाश गुप्ता, संचारी नवाब गंज गिर्द गोंडा उत्तर प्रदेश 271303 **LAFZVLLONS000005131242 & LAFZVLLONS000005131347 & LAFZSVLONS000005177294/AP-10304338 & AP-10309511 & AP-10416727**	10–11–2025 / 11–11–2025	11–मई–2026 रू. 2436695/– (चौबीस लाख छत्तीस हज़ार छह सौ पंचानवे रुपये) 10–मई–2026 तक बकाया 11 मई–2026 से ब्याज के साथ और पेमेंट की तारीख तक दूसरे चार्ज और लागत	**संपत्ति के सभी अंश एवं खंड :** मकान नंबर 211, क्षेत्रफल परिमाप 1206 वर्ग फीट, गांव– संचारी परगना, नवाबगंज, तहसील तरबगंज, जिला गोंडा, यूपी में है। लैंड मार्क– सराय मस्जिद गोंडा उत्तर प्रदेश 271303 सीमाः– पूरबः दुकान अमित प्रकाश गुप्ता, पश्चिमः पार्टी गौतम गुप्ता की ज़मीन, उत्तरः सड़क सरकारी घंटा घर मार्ग, दक्षिणः सतीश अग्रवाल का मकान
6.	श्री/श्रीमती सुनीता पत्नी श्री बृजेश कुमार तिवारी, श्री/श्रीमती बृजेश कुमार तिवारी पुत्र श्री सत्यराम तिवारी, श्री/श्रीमती, राजेश कुमार तिवारी पुत्र श्री सत्यराम तिवारी, श्री/श्रीमती प्रमिला पत्नी सत्य राम तिवारी इलेक्ट्रिक कुसमी एस एन छपिया छपिया तह. मनकापुर छपिया गोंडा मसकनवा आर एस उत्तर प्रदेश 271305 **LAFZVLLONS000005125942/AP-10292677**	10–11–2025 / 11–11–2025	11–मई–2026 रू. 1700641/– (सत्रह लाख छह सौ इकतालीस रुपये) 10–मई–2026 तक बकाया 11 मई–2026 से ब्याज के साथ और पेमेंट की तारीख तक दूसरे चार्ज और लागत	**संपत्ति के सभी अंश एवं खंड :** गाटा नंबर 281, एरिया 612 वर्ग फीट, गांव नरैचा परगना बभनीपयार मनकापुर जिला गोंडा उत्तर प्रदेश 271305 सीमा :– पूरबः सड़क सरकारी छपिया से मदरिया मार्ग, पश्चिमः फूलमती का मकान, उत्तरः फूलमती का मकान, दक्षिणः धर्मारा का प्लॉट
7.	श्री/श्रीमती राम जानकी पत्नी चंगा, श्री/श्रीमती आर्यन वर्मा पुत्र श्री छंगा लाल, सूरज बिजनेस पॉइंट सी/ओ राम जानकी, क्लर्क क्रिकेट अकादमी, जगदीश पुर बुजुर्ग लखनऊ उत्तर प्रदेश 227115 **LA11VLLONS000005136164/AP -10308507**	10–11–2025 / 11–11–2025	11–मई–2026 रु. 1931937/– (रूपये उन्नीस लाख इकतीस हजार नौ सौ सैंतीस केवल) 10–मई–2026 तक बकाया 11 मई–2026 से ब्याज के साथ और पेमेंट की तारीख तक दूसरे चार्ज और लागत	**संपत्ति के सभी अंश एवं खंड :** खसरा संख्या 209 के भाग/मिनजुमला के आवासीय भूखंड का 1/2 भाग, भूखंड का क्षेत्रफल 750 वर्ग फीट यानी 69.702 वर्ग मीटर, और खसरा संख्या 209 के भाग/मिनजुमला के आवासीय भूखंड के 1/2 भाग पर निर्मित मकान, भूखंड का क्षेत्रफल 750 वर्ग फीट यानी 69.702 वर्ग मीटर (कुल क्षेत्रफल 1500 वर्ग फीट) मोहल्ला/गांव– बेगारिया, वार्ड कन्हैया माधवपुर, परगना, तहसील और जिला–लखनऊ में स्थित सीमाः–पूर्वः–खेलावन का भूखंड, पश्चिमः–अन्य का भूखंड, उत्तरः–12 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिणः–महर्षि स्कूल

स्थान : लखनऊ, दिनांक : 19-05-2026 **(प्राधिकृत अधिकारी) इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए**

YES BANK

पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय : यस बैंक हाउस, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के पास, सांताक्रूज ईस्ट, मुंबई-400055 भारत; **वेबसाइटः** www.yesbank.in, **ईमेलः** communications@yesbank.in: **CIN:** L65190MH2003PLC143249
क्षेत्रीय कार्यालयः 5वीं मंजिल, मैक्स टॉवर, सेक्टर 16बी, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए – नियम 8 (1) के तहत)

जैसा की वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम,2002 के अंतर्गत यस बैंक लि. के प्राधिकृत आधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमवाली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना जारी कर नीचे उल्लेखित संबंधित ऋणधारको को उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर उन्हें मांग सूचना में वर्णित राशि वापस लौटने का निर्देश दिया थो संबंधित ऋणधारक इस राशि को वापस लौटने में विफल रहे, अतः एतदद्वारा आम जनता और विशेष रूप से ऋणधारको को सूचित किया जाता है की अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमवाली के नियम 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत नीचे वर्णित संपत्ति का सांकेतिक कब्जा ले लिया है विशेष रूप से संबंधित ऋणधारकों और आम जनता को सूचित किया जाता है की वे नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें और उक्त संपत्ति का किसी तरह का व्यवसाय नीचे वर्णित राशि और उस पर अनुबंधित दर पर ब्याज के लिए यस बैंक लि. के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का नाम	धारा 13(2) के तहत सूचना की तारीख/एनपीए की तारीख	सूचना राशि (रु.)	कब्जे की तारीख	उत्पाद और ऋण सं.
(1) विक्रम सिंह (ऋणधारक और बंधककर्ता), पुत्र रतन सिंह, पताः 6, गली नं. 2, मिल्टन फैक्ट्री के पास, चमन नगर, सोनीपत, हरियाणा, शनि मंदिर के पास, सोनीपत-131001; अन्य पताः प्लॉट नं. 1255, एचएस 11डीसीआरएआई, सोनीपत, हरियाणा, पावर हाउस के पास-131029 (2) नेहा सिंह (सह-ऋणधारक), पत्नी विक्रम सिंह, पताः 6, गली नं. 2, मिल्टन फैक्ट्री के पास, चमन नगर, सोनीपत, हरियाणा, शनि मंदिर के पास, सोनीपत-131001	04-08-2025 / 07-07-2025	रु. 1,151,673.30/- (रुपये ग्यारह लाख एकावन हजार छह सौ तिहत्तर और तीस पैसे मात्र) दिनांक 04-08-2025 तक	14/05/26	संपत्ति पर सूक्ष्म ऋण सुविधा

सुरक्षित संपत्ति का विवरणः अचल संपत्ति का वह पूरा हिस्सा और टुकड़ा जिसका माप 48 वर्ग गज) है, 3/132 भाग मुवाजी 3 कनाल 6 मरला मुंदारजा, खेवट नं. 183, खाता नं. 228 मुंदारजा मुस्ततिल और किला नंबर 35//8/2 3-6 वाका रकबा मौजा लहारारा, आबादी चमन नगर के अंदर, पटेल नगर के पास, हदूद नगर नगर परिषद सोनीपत के भीतर, जमाबंदी वर्ष 2007-2008 हरियाणा। चौहद्दीः पूर्वः कमला प्रसाद का घर, 12 फीट 2 इंच, पश्चिमः अन्य का प्लॉट, 12 फीट 2 इंच, उत्तरः मिल्टन फैक्ट्री की दीवार, 35 फीट,दक्षिणः गली/रास्ता, 35 फीट। मालिकः श्री विक्रम सिंह

कृपया ध्यान दें कि अधिनियम की धारा 13(8) के तहत, यदि सार्वजनिक नीलामी/बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन की तारीख से पहले हमारे द्वारा वहन किए गए सभी खर्चों, शुल्कों और लागतों के साथ बकाया राशि का भुगतान कर दिया जाता है, तो बिक्री संपन्न नहीं की जाएगी और सुरक्षित संपत्ति हमारे द्वारा बेची या हस्तांतरित नहीं की जाएगी, और उस सुरक्षित संपत्ति के हस्तांतरण या बिक्री के लिए हमारे द्वारा कोई आगे कदम नहीं उठाया जाएगा।

दिनांकः19.05.2026, स्थानः दिल्ली एनसीआर **हस्ता./- (अधिकृत अधिकारी), यस बैंक लिमिटेड**

कब्जा सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी के रूप में, प्रतिभूतिकरण और वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (54 ऑफ 2002) ("उक्त अधिनियम") के तहत आर्किल ट्रस्ट–2025सी–006 (''आर्किल'') के न्यासी के रूप में कार्य करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (''.उक्त नियम'') के नियम 3 के साथ पढ़ा जाए, तो उधारकर्ता(ओं), गारंटर और बंधकदारों को राशि चुकाने के लिए एक मांग नोटिस जारी किया है, जिसका विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

ऋणकर्ता/गारंटरों/गिरवीदारों द्वारा उक्त राशि का भुगतान न कर पाने की स्थिति में, ऋणकर्ता/गारंटरों/ गिरवीदारों को विशेष रूप से और आम जनता को यह सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) और उक्त नियमों के नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे वर्णित अचल संपत्ति पर ''जैसा है, जहां है और जो कुछ भी है'' के आधार पर नीचे उल्लिखित तिथि से भौतिक कब्जा ले लिया है।

क्र. सं.	उधारकर्ता और गारंटरओं के नाम और लैन	धारा 13(2) के तहत जारी नोटिस की तिथि और राशि (रूपये में)	कब्जे की तिथि और प्रकार
1	**उधारकर्ताः अर्चना, राजू श्रीवास्तव और पूनम वर्मा (लैन –** H3CP000005003139) Arcil-Trust&2025C-006	**रूपयें 629813.57/- (केवल छह लाख उनतीस हजार आठ सौ तेरह रूपये और सत्तावन पैसे) दिनांक 04-06-2025 तक, साथ ही उक्त राशि पर दिनांक 05-06-2025 से संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज, तथा साथ में आनुषंगिक खर्च, लागत, शुल्क आदि। नोटिस की दिनांकः 04-06-2025**	14-05-2026 **(भौतिक कब्जा)**

संपत्ति का विवरणः बंधक रखी गई संपत्ति का वह संपूर्ण भाग और टुकड़ा, जिसका क्षेत्रफल 680 वर्ग फुट है, जो आराजी संख्या 71 के एक भाग पर स्थित है मौज़ा हसापुर, परगना देहात अमानत, तहसील सदर और जिला वाराणसी (यूपी .) – 221108 में स्थित है। जिसे इसके बाद ''अचल संपत्ति'' के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

विशेष रूप से उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता और आम तौर पर जनता को इसके द्वारा सचेत किया जाता है कि आर्किल के पास ऊपर बताई गई अचल संपत्ति का कानूनी कब्जा है, और सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(13) के तहत, उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता या कोई भी अन्य व्यक्ति, इस नोटिस को प्राप्त करने के बाद, आर्किल की पूर्व लिखित सहमति के बिना, अचल संपत्ति को बिक्री, पट्टे या किसी अन्य तरीके से हस्तांतरित नहीं करेगा, न ही उसके साथ कोई लेन–देन करेगा या उसे किसी और को देगा। अचल संपत्ति के साथ किया गया कोई भी लेन–देन, ऊपर बताई गई राशि के लिए के प्रभार के अधीन होगा इस राशि में ऊपर बताई गई राशि पर संविदात्मक दर से भविष्य का ब्याज, साथ ही आकस्मिक खर्च, लागत, शुल्क आदि शामिल होंगे।

उधारकर्ताआ/गारंटरों/बंधककर्ताओं का ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो ऊपर बताई गई अचल संपत्ति को वापस पाने के लिए उपलब्ध समय से संबंधित हैं।

हस्ताक्षर/–
प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः लखनऊ **एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड**
दिनांकः 19.05.2026 **आर्सिल ट्रस्ट-2025सी-006 (''आर्सिल'') के न्यासी**

Arcil Premier ARC

एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड

सीआईएनः U65999MH2002PLC134884
वेबसाईटः www.arcil.co.in
पंजीकृत कार्यालयः द रूबी, 10वीं मंजिल, 29 सेनापति बापट मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई – 400 028 दूरभाषः 022–66581300
शाखा कार्यालयः प्रथम तल, प्लॉट रु सी 48, इज्ना टावर, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ– 226 010, उत्तर प्रदेश। फोनः– 0522–4241603.

गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 6वीं मंजिल, बी–बिल्डिंग, गंगा टूनो बिजनेस पार्क, लोहेगांव, पुणे, महाराष्ट्र – 411014,

परिशिष्ट IV (नियम 8(1) देखें)
कब्जा सूचना
(अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जिसे इसके बाद उपरोक्त कॉर्पोरेट/पंजीकृत कार्यालय का सुरक्षित लेनदार कहा जाएगा। के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसमें आगे "उक्त अधिनियम" कहा गया है) के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना निम्नवर्णित तिथि को जारी की थी, जिसमें निम्नवर्णित कर्जदारों से सूचना में वर्णित बकाया राशि का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी।

कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, अतः एतद्द्वारा कर्जदारों और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा नीचे वर्णित दिनांक को ले लिया है।

कर्जदारों को विशेष रूप से तथा जनसाधारण को सामान्य रूप से इन सम्पत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और सम्पत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार प्रतिभूत लेनदार की बकाया राशि और उस पर ब्याज इत्यादि सहित के अधीन होगा। कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है। कब्जे में ली गई सम्पत्ति का विवरण यहां नीचे दिया गया है।

क्र. सं.	कर्जदार का नाम	सम्पत्ति का विवरण	कब्जा सूचना की तिथि	सांविधिक मांग सूचना की तिथि	मांग सूचना में राशि (रु.)
1	**राम बाबू, भारतीय, विद्या**	आराज़ी संख्या 449 के हिस्से का संपूर्ण भाग जोकि मौजा लेहरा, परगना एवं तहसील सौराव, प्रयागराजय आकार 1225 वर्ग फुट (35*35) पूर्वः किरण देवी का प्लॉट, पश्चिमः उसी आराजी 449 का हिस्सा, उत्तरः मंगरु की खाली भूमि, दक्षिणः 8 फुट चौड़ी सड़क	13/05/2026	09/03/2026	ऋण सं. **HL00044100000005009901** रु. **21,39,297/-** (रु. इक्कीस लाख उनतालीस हजार दो सौ सत्तान्वे मात्र) 09.03.2026 तक देय, साथ ही वसूली तक @15.1 प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित
2	**इसरार हुसैन, हसीन बानो**	प्लॉट का संपूर्ण भाग जोकि गाटा संख्या 269, ग्राम सराय जेड ए 01, तहसील फरीदपुर, जिला बरेली माप 37.40 वर्ग मीटर और इसकी सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्व– सहर उद्दीन का प्लॉट, पश्चिम– गुलशेर का खेत, उत्तर– हमीदुल्ला का खेत, दक्षिण– 12 फुट चौड़ा रास्ता	13/05/2026	09/03/2026	ऋण सं. **HL00604000000005045899** रु. **2,19,235/-** (रु. दो लाख उन्नीस हजार दो सौ पैंतीस मात्र) 09.03.2026 तक देय, साथ ही वसूली तक @16.6 प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित
3	**साधना गुप्ता, मनोरमा देवी, पंकज गुप्ता, अनुभव गुप्ता**	संपत्ति का संपूर्ण भाग जोकि मकान रवि की चक्की के पास और कुसुम कुमारी स्कूल के पास, मोहल्ला सहसवानी टोला, जगतपुर, तहसील एवं जिला बरेली इसके साथ ही सभी चल संपत्तियां एवं प्राप्य राशियां इस पर स्थित सभी मौजूदा इमारतें और संरचनाएं, तथा संबंधित बंधक की तारीख से या उसके बाद किसी भी समय इस पर बनाई/निर्मित की जाने वाली इमारतें और संरचनाएं तथा इसमें किए गए सभी अतिरिक्त निर्माण और भूमि से जुड़े या भूमि से जुड़ी किसी भी चीज से स्थायी रूप से बंधे हुए सभी फिक्स्चर और फर्नीचर (वर्तमान और भविष्य दोनों) और इसकी सीमाएं इस प्रकार हैं: क्षेत्रफल 139.50 वर्ग मी. उत्तरः 10 फुट चौड़ी पक्की सड़क, दक्षिणः अन्य व्यक्ति का मकान, पूर्वः तुलसी देवी का मकान, पश्चिमः सुरेश गुप्ता पुत्र विद्या राम का मकान	14/05/2026	09/03/2026	ऋण सं. **HF0100H20100198** रु. **13,98,591/-** (रु. तेरह लाख अट्ठान्वे हजार पाँच सौ इक्कान्वे मात्र) 09.03.2026 तक देय, साथ ही वसूली तक @18.35 प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित
4	**नजमा आफताब खान, आफताब खान, मोहम्मद नदीम खान**	मकान संख्या 94 का संपूर्ण भाग जोकि ग्राम ब्राह्मणपुरा पश्चिम, परगना, तहसील एवं जिला बरेली माप 53.87 वर्ग मीटर और इसकी सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्व– 15 फुट चौड़ा रास्ता, पश्चिम– जानकी प्रसाद का मकान, उत्तर– जानकी प्रसाद का मकान, दक्षिण– भगवान दास का मकान	14/05/2026	09/03/2026	ऋण सं. **LAP06042000000005056727** रु. **6,78,156/-** (रु. छह लाख अट्ठहत्तर हजार एक सौ छप्पन मात्र) 09.03.2026 तक देय, साथ ही वसूली तक @18 प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित
5	**गुड्डू, चन्द्रप्रकाश, तोता**	आराजी संख्या 164 का संपूर्ण भाग जिसका माप 2040 वर्ग फुट मौजा बरखेड़ा, परगना भुइली, तहसील चुनार, जिला मिर्जापुर सीमाएँ: – पूर्व – निर्मला देवी की भूमि, पश्चिम – 10 फुट चौड़ा कच्चा रास्ता, उत्तर – 10 फुट चौड़ा कच्चा रास्ता, दक्षिण – आराजी का हिस्सा	15/05/2026	09/03/2026	ऋण सं. **HL00055100000005017913** रु. **11,34,111/-** (रु. ग्यारह लाख चौंतीस हजार एक सौ ग्यारह मात्र) 09.03.2026 तक देय, साथ ही वसूली तक @16.6 प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित
6	**संजय यादव, आरती देवी, श्यामलाल**	वह समस्त भूमि और इमारत जोकि आराजी संख्या मिन्ज 467 क्षेत्रफल 2378 वर्ग फुट (यानी 220.817 वर्ग मीटर), मौज सोहदवार, परगना मझवार, तहसील और जिला चंदौली सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व – 18 फुट चौड़ी सड़क, पश्चिम – आराजी का शेष भाग, उत्तर – 8 फुट चौड़ी सड़क, दक्षिण – आराजी का हिस्सा।	15/05/2026	09/03/2026	ऋण सं. **LAP00552000000005019871** रु. **8,93,328/-** (रु. आठ लाख तिरान्वे हजार तीन सौ अट्ठाईस मात्र) 09.03.2026 तक देय, साथ ही वसूली तक @18.35 प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित
7	**गौरव सिंह, माधुरी सिंह**	वह समस्त भूमि और इमारत जोकि आराजी संख्या 142 क्षेत्रफल 2472 वर्ग फुट (यानी 229.739 वर्ग मी. मौजा पुरवांन तह. धकिया, परगना मझवार, तहसील और जिला चंदौली, सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व – मालिक की संपत्ति, पश्चिम – सुरेंद्र सिंह की भूमि, उत्तर – मालिक की संपत्ति, दक्षिण – 10 फुट चौड़ी सड़क	15/05/2026	09/03/2026	ऋण सं. **LAP00552000000005058565** रु. **6,35,096/-** (रु. छह लाख पैंतीस हजार छियान्वे मात्र) 09.03.2026 तक देय, साथ ही वसूली तक @16.5 प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित ऋण सं. **LAP00552000000005019406** रु. **18,03,761/-** (रु. अट्ठारह लाख तीन हजार सात सौ इकसठ मात्र) 09.03.2026 तक देय, साथ ही वसूली तक @18.35 प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित

किसी भी मामले में यदि स्थानीय भाषा के प्रकाशन और अंग्रेजी समाचार पत्र प्रकाशन की सामग्री के बीच कोई अंतर है, तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस में प्रकाशित अंग्रेजी समाचार पत्र भाषा की सामग्री मान्य होगी।

स्थानः उत्तर प्रदेश, **हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी,**
दिनांकः 19.05.2026 **गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

उत्कर्ष स्माल फाईनेंस बैंक

आपकी उम्मीद का खाता
(एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक)

आंचलिक कार्यालयः दूसरी मंजिल 134ए, मंजिल पाटलिपुत्र कॉलोनी पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने पटना, बिहार – 800013
पंजीकृत कार्यालयः उत्कर्ष टॉवर, एनएच – 31 (एयरपोर्ट रोड), सेहमलपुर, काजी सराय, हरहुआ, वाराणसी, यूपी – 221 105

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (2) के तहत

अचल सम्पत्ति के लिए कब्जा सूचना

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मांग सूचनाएं इसमें आगे प्रत्येक खाते के सामने वर्णित तिथियों को जारी की थी, जिसमें संबंधित कर्ज़दारों से बकाया राशि उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की गई थी। कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, अत. एतदद्वारा यहां नीचे वर्णित कर्जदारों और सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्तियों का कब्जा प्रत्येक खाते के सामने वर्णित तिथियों को ले लिया है। कर्जदार को विशेष रूप से तथा सर्व साधारण को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि सम्पत्तियों के संबंध में कोई संव्यवहार नहीं करें तथा सम्पत्तियें के संबंध में कोई भी संव्यवहार उत्करर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड की यहां नीचे प्रत्येक खाते के सामने वर्णित बकाया राशि तथा उस पर ब्याज का भुगतान करने के बाद ही किया जा सकता है। कर्जदार तथा सह–कर्जदार/बंधकदाता का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

| क्र. सं. | खाते का नाम | कर्जदार/गारंटर